

सुमाहरणालय, मधेपुरा।

(शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

श्री रामाकांत मंडल पे० स्व० अधिकलाल मंडल, ग्राम तुलसीबाड़ी थाना+जिला मधेपुरा के नाम से एक दो नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति सं०-558/1953 प्राप्त है, जिस पर शस्त्र संख्या-157482 धारित है। इनके पुत्र श्री हीराकान्त मंडल पे० स्व० रामाकांत मंडल सा० तुलसीबाड़ी थाना+जिला मधेपुरा वर्तमान पता विद्यापुरी मोहल्ला वार्ड नं०-18 थाना+जिला मधेपुरा द्वारा सूचित किया गया है कि पिता श्री रामाकांत मंडल की मृत्यु दिनांक 06-05-2015 को हो चुकी है। स्व० मंडल के नाम पर धारित दो नाली बन्दुक को मेसर्स बिहार गन हाउस, मधेपुरा में जमा करने हेतु अनुमति की अपेक्षा की है।

अतः श्री हीराकान्त मंडल से प्राप्त आवेदन पत्र के आलोक में श्री रामाकांत मंडल पे० स्व० अधिकलाल मंडल, ग्राम तुलसीबाड़ी थाना+जिला मधेपुरा के मृत्यु उपरान्त इनके नाम से निर्गत एक दो नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति सं०-558/1953 को रद्द किया जाता है तथा उस पर धारित शस्त्र संख्या-157482 को मेसर्स बिहार गन हाउस, मधेपुरा में जमा करने की अनुमति प्रदान की जाती है। उक्त निदेश दिया जाता है कि मृतक अनुज्ञप्तिधारी का मूल अनुज्ञप्ति पुस्त एवं संबंधित प्रतिष्ठान के द्वारा निर्गत पावना रसीद की एक प्रति जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में तुरंत जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वांछित कागजात प्राप्त होने के उपरान्त उक्त आशय की प्रविष्टि संबंधित अनुज्ञप्ति पंजी में कराते हुए अपना हस्ताक्षर पृष्ठीकृत कर देंगे।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाय।

४०/-

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापक : 127 /शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक 19.05.2015
प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा/ अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : ✓ जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं मधेपुरा जिला के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : मेसर्स बिहार गन हाउस, मधेपुरा/ श्री हीराकान्त मंडल पे० स्व० रामाकांत मंडल सा० तुलसीबाड़ी थाना+जिला मधेपुरा वर्तमान पता विद्यापुरी मोहल्ला वार्ड नं०-18 थाना+जिला मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

19/05/15
जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।